लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4366
दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

संस्थागत ऋण की स्थिति

4366. श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हथकरघा बुनकरों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, संस्थागत ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है और कम ब्याज दर वाले ऋणों तथा वित्तीय साक्षरता तक उनकी पहुँच में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) बुनकर मुद्रा योजना का लाभ व्यक्तिगत बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सहकारी समितियों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, किस हद तक प्रदान किया जा रहा है और उक्त योजना के कार्यान्वयन में क्या बाधाएँ आ रही हैं;

(ग) क्या महिला बुनकरों को ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं में कोई विशेष प्रावधान या छूट है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) हथकरघा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर उत्पादित पावर-लूम और वस्त्र उत्पादों से अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी विशिष्ट नीतियाँ बनाई जा रही हैं; और

(ङ) सरकार पावर-लूम की नकल को प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों के रूप में बेचे जाने से रोकने के लिए हथकरघा आरक्षण अधिनियम को किस प्रकार कार्यान्वित कर रही है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना जोकि राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) का एक घटक है, को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में महिला बुनकरों सहित पात्र हथकरघा लाभार्थियों को फ्लेक्सिबल और लागत प्रभावी तरीके से उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऋण के लिए पर्याप्त और समय पर सहायता पहुंचाना है। इस योजना के तहत, व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों के लिए ऋण राशि के 20% की दर से अधिकतम 25,000 रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता और हथकरघा संगठनों अर्थात स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों आदि के लिए ऋण राशि के 20% की दर से अधिकतम 20.00 लाख रुपये (प्रत्येक 100 बुनकरों/कामगारों के लिए 2.00 लाख रुपये की मार्जिन मनी) तक की मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है। हथकरघा संगठनों के लिए भारत सरकार द्वारा 7% ब्याज छूट सीमा की शर्त के अध्यधीन ऋण राशि पर 6% की दर से ब्याज सब्सिडी और ऋण पर 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी सुविधा भी उपलब्ध है। वस्त्र मंत्रालय उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना सहित हथकरघा योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के निकट समन्वय से जागरूकता शिविर/चौपालों का आयोजन भी कर रहा है। महिला बुनकरों की संपार्श्विक आवश्यकताओं में ऋण लाभ लेने के लिए कोई विशेष प्रावधान अथवा छूट उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार केवल हथकरघा पर उत्पादन के लिए निश्चित आरक्षित मदों तथा देश में हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को कार्यान्वित कर रहा है। कुछ तकनीकी विशिष्टताओं के साथ 11 वस्त्र आर्टिकल विशेष रूप से हथकरघा पर उत्पादन के लिए आरक्षित हैं। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पात्र राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए संबंधित राज्य हथकरघा विभागों और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा फील्ड निरीक्षण किए जाते हैं।

******